

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246787
SG-DL-E-23062023-246787असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|--|----------------------------|
| सं. 191] | दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 107 |
| No. 191] | DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945 | [N. C. T. D. No. 107 |

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जून, 2023

सं. फा. 08(47)/प्रशा0/म0बा0वि0/म0नि0/पर्यवेक्षक-II/2021/1176.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 31.07.2007 की अधिसूचना सं0 फा0 12(1)/2005-डीएसडब्ल्यू/स्था0/8969-979 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "पर्यवेक्षक ग्रेड -II (महिला)" के पद हेतु भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को 'महिला एवं बाल विकास विभाग, "पर्यवेक्षक ग्रेड -II (महिला)" भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | पदनाम | : | पर्यवेक्षक ग्रेड -II (महिला) |
| 2. | पदों की संख्या | : | 375* (2022) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर |
| 3. | वर्गीकरण | : | सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिकीय |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | : | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29200-92300/-रुपये) |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद | : | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ता वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा | : | 18 एवं 25 वर्ष के बीच* *यदि पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाते हैं तो आयु-सीमा 18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय है।) टीप - 1- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सेवा की अवधि तक छूट, अधिकतम 15 वर्ष की छूट के अधीन। टीप -2 - आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। |
| 7. | सीधी भर्ता वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | : | अनिवार्य :- किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से गृह विज्ञान अथवा बाल विकास अथवा पोषण अथवा समाज कार्य में स्नातक ; अथवा आंगवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्षों के अनुभव सहित किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से गृह विज्ञान अथवा बाल विकास अथवा पोषण अथवा समाज कार्य में स्नातक। टीप - अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवार के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप - 2 - यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | : | लागू नहीं । |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | : | दो वर्ष । टीप - परीवीक्षा की पूर्णतः के लिए संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित 2-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रेरक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक है । |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | : | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टीप - 1 - पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से भरा जा सकता है। (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारी ; तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले । टीप -2 -स्तर-5, 29200 - 92300/-रूपये में पर्यवेक्षक ग्रेड-II (महिला) के स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है जो किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से गृह विज्ञान अथवा बाल विकास अथवा पोषण अथवा समाज कार्य में स्नातक हैं तथा महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में नियमित आधार पर न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा की हो । |
| 11. | यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है | : | लागू नहीं । |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदान्ति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है। | : | समूह "ग" विभागीय पदोन्नति/विभागीय स्थाईकरण समिति (स्थाईकरण हेतु) (i) प्रधान सचिव/सचिव (प्रशासनिक सुधार) - अध्यक्ष (ii) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग -सदस्य (iii) उप-सचिव (सा0प्र0वि0), -सदस्य समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के समिति के अन्य सदस्य के कनिष्ठ होने की स्थिति में स्थाईकरण के विचारार्थ विभागीय स्थाईकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । |
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | : | लागू नहीं |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
कृष्ण कुमार, विशेष सचिव-सह-निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd June, 2023

F. No. 8(47)/Adm/WCD/RR for Supervisor-II/2021/1176.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F.12(1)/2005-DSW/Estt/8969-979 dated 31.07.2007, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make recruitment rules for the post of **Supervisor, Grade-II (Women)** in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

1. **Short title and commencement:** - (i) These rules may be called the 'Department of Women and Child Development, Supervisor, Grade-II (Women), Recruitment Rules, 2023'.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix:** - The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc:** - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification:** - No person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax:** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post. | Number of posts. | Classification. | Level in the pay matrix. | Whether selection or non-selection post. | Age limit for direct recruits. |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Supervisor, Grade-II (Women) | 375* (2022) *Subject to variation dependent on work load. | General Central Service, Group- 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, | Level - 5 (Rs. 29200-92300/-) in the Pay Matrix | Not Applicable | Between 18 and 25 years* *In case of post being filled up by All India open competition, it would be between 18 years and 27 years. (The upper-age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Note 1: Relaxable to the extent of the period served as Anganwadi Worker, subject to a maximum relaxation of 15 years.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| Educational and other qualification required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|--|---|--|
| 7 | 8 | 9 |
| <p>ESSENTIAL:</p> <p>Graduate in Home Science or Child Development or Nutrition or Social Work from Govt. recognized University/Board;</p> <p>OR</p> <p>Graduate in Home Science or Child Development or Nutrition or Social Work from Govt. recognized University/Board with 10 years experience as an Anganwadi Worker.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Schedules Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> | Not Applicable | <p>Two years</p> <p>Note: Successful completion of mandatory Induction Training of 2-4 weeks as prescribed by the Cadre authority is a pre-requisite for completion of probation.</p> |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|--|--|---|--|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| <p>100% Direct recruitment.</p> <p>Note 1: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or</p> | Not Applicable | <p>Group 'C' DPC/DCC (for confirmation)</p> <p>i) Pr. Secretary/ Secretary (AR)</p> <p style="text-align: right;">– Chairman</p> | Not Applicable |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Government/UTs:-</p> <p>(a) Holding analogous post on regular basis; and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 7".</p> <p>Note 2: 50% of the total number of sanctioned posts of Supervisor, Grade-II (Women) in the Level - 5, Rs. 29200-92300/- are reserved for Anganwadi Workers who are Graduate in Home Science or Child Development or Nutrition or Social Work from recognized University/Board and have put in a minimum of 10 years of service on continuous basis in WCD, GNCTD.</p> | | <p>ii) Secretary, DWCD –Member</p> <p>iii) Dy. Secretary (GAD) –Member</p> <p>Note:-Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.</p> | |
|---|--|---|--|

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
KRISHAN KUMAR, Spl. Secy.-cum-Director